

बिहार सरकार,

श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष)

आवंटनादेश

प्रेषक,

सैयद परवेज आलम,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

श्रमायुक्त के सचिव, पटना ।

पटना, दिनांक :- 19-1-15

विषय:-

आय-व्ययक शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-101- औद्योगिक संबंध- मांग संख्या-26 उपशीर्ष-0108-श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तन तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-पी 2230011010108) के अन्तर्गत निधि का अतिरिक्त आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1607 दिनांक-11.06.14 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में 31 मार्च, 2015 तक व्यय के निमित्त श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तन तंत्र का सुदृढीकरण योजनान्तर्गत डाटा इंटी ऑपरेटर के पारिश्रमिक के भुगतान हेतु व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं इकाई (28-01) में ₹ 59,000/- (₹ उनसठ हजार) मात्र का अतिरिक्त आवंटन किया जाता है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-253/वि0(2) दिनांक-11.3.14, पत्रांक-310 दिनांक-28.3.14, एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
3. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा, तथा इसकी सारी जिम्मेवारी आप पर होगी।
4. यह आवंटन योजना मद से संबंधित है ।

विश्वासभाजन

२५६५
16-1-15

(सैयद परवेज आलम) 16/01/15
श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक:- 6/एफ1-306/2014 श्र0सं0:- 80

पटना, दिनांक 19-1-15

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

२५६५
16-1-15

(सैयद परवेज आलम) 16/01/15
श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक:- 6/एफ1-306/2014 श्र0सं0:- 80

पटना, दिनांक 19-1-15

प्रतिलिपि- सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन कोषागार, नया सचिवालय, पटना /आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना /प्रशाखा-2 सरकार पक्ष /लेखाशाखा, श्रमपक्ष/प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

२५६५
16-1-15

(सैयद परवेज आलम) 16/01/15
श्रमायुक्त, बिहार ।